

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



262

क्रमांक एफ 4(4)ग्रावि/नरेगा/अधि.अभि./2010

जयपुर, दिनांक-

2 MAY 2010

:: कार्यालय आदेश ::

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जिला अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली एवं उदयपुर जिनमें 10 या 10 से अधिक पंचायत समितियां हैं उनमें कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जिला स्तर पर एक अतिरिक्त अधिशाषी अभियंता, ईजीएस के पद की प्रतिनियुक्ति पर सृजन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

उक्त पदों पर होने वाला व्यय महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक एवं प्रबंधन व्यय की राशि से पूरित होगा। योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी पदों पर होने वाले व्यय की सीमा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

उक्त पदों हेतु वित्त विभाग द्वारा अन्तरविभागीय टीप संख्या 101001488 दिनांक 07.05.2010 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

(बद्री नारायण)

अतिरिक्त आयुक्त, (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव आयुक्त एवं सचिव, ईजीएस।
- 5 निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास, जयपुर।
- 6 उप शासन सचिव (व्यय - 5) वित्त विभाग, जयपुर।
- 7 उप शासन सचिव, प्रशासन अनुभाग-1 ग्रामीण विकास, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिलों में सृजित पदों पर अधिशाषी अभियंता ईजीएस का पदस्थापन करवाने का श्रम करें।
- 8 मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद।
- 9 जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस जिला अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली एवं उदयपुर।
- 10 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली एवं उदयपुर।
- 11 रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त, (द्वितीय), ईजीएस